न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 8/2020 (2020/00015)

जसवन्त कुमार उर्फ रामपाल पुत्र मोहनलाल जाति हरिजन निवासी जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर राज.।

——वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर राज. ।

—— प्रतिवादी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज भू.–राजस्व अधिनियम)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 15.12.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि ग्राम जाल का खेडा की जमाबन्दी सं. 2070–73 की निम्नानुसार आराजीयात है:–

खाता स. नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
166–167	652	0.69	बरानी–1
	कुल 1	कुल रकबा 0.69 है.	

उक्त आराजीयात का विवरण सम्वंत् 2041 की जमाबन्दी के अनुसार निम्न प्रकार है।

खाता स. नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
134–137	234/5	08बीघा 10 बिस्वा	बरानी–3
	कुल 1	08बीघा 10 बिस्वा	

वाद वर्णित आराजीयात सम्वंत् 2041 मे जमनी बेवा रामा खटीक, पांची बेवा देवीलाल, ओमप्रकाश पुत्र देवीलाल भंवरलाल पुत्र देवीलाल समस्त जाति खटीक निवासी जूनिया तहसील केकडी जूनियां व सत्यनारायण पुत्र देवीलाल जाति खटीक निवासी जूनिया नाबालिग जरिये वली व सरपरस्त माता पांची बेवा देवीलाल खटीक निवासी जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर के नाम दर्ज थी जिसे प्रार्थी व उसके भाई कालु ने जरिये रजिर्स्टड क्रय कर ली वर्तमान मे प्रार्थी के हिस्से अनुसार अलग से खसरा संख्या 652 रकबा 0.69 है तन्हा कब्जे काश्त मे चली आ रही है जिसमे किसी व्यक्ति या संस्था का अधिकार व कब्जा काश्त नही है प्रार्थी को ग्राम जूनिया मे रामपाल के नाम से ही जानते एवं पहचानते है जबकि प्रार्थी का सही व दस्तावेजी नाम जसवन्त कुमार पुत्र मोहन का अंकन है सिर्फ जमाबन्दी मे ही रामपाल पुत्र मोहन का अंकन है जो कतई ही गलत है तथा उक्त अंकन से प्रार्थी किसी भी प्रकार का ऋण या अन्य लाभ प्राप्त करने से वंचित है उक्त वाद वर्णित आराजी पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त स्वामित्व चला आ रहा है तथा रामपाल पुत्र मोहन, तथा जसवन्त कुमार पुत्र मोहन प्रार्थी का ही नाम है दिनांक 30.12.2019 को प्रार्थी को अप्रार्थी को नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया किन्तु उन्होने इनकार कर दिया अतः प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रामपाल पुत्र मोहन का नाम विलोपित किया जावे एंव वादी का सही व वास्तविक नाम दर्ज किया जावे।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया आज प्रशासन गांवो के संग जुनिया पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि वादी अपना नाम जसवन्त कुमार पुत्र मोहन हरिजन करवाना चाहता है जसवन्त कुमार पुत्र मोहनलाल कौम हरिजन व रामपाल पुत्र मोहन कौम हरिजन एक ही व्यक्ति जिसे दोनो नामो से जाना जाता है । अतः रामपाल पुत्र मोहन हरिजन के स्थान पर जसवन्त कुमार पुत्र मोहन हरिजन सा.देह हेतु रिपोर्ट प्रस्तु की है जिस पर है। ग्राम पंचायत जूनियां के हस्ताक्षर है। पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा ग्राम जूनियांकी [illegible] के खाता स. नया–पुराना 166–167 में दर्ज खातेदार रामपाल पुत्र मोहन के स्थान पर जसवन्त [illegible] मोहन हरिजन साकिन देह दर्ज किया जावें। बाकी इन्द्राज बदस्तूर रहेगें। तहसीलदार [illegible] की कार्यवाही करें।

निर्णय प्रशासन गांवो के संग [illegible] जूनिया मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:46:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner